

शुक्रवार, 24 नवंबर, 2017 : मार्गशीर्ष शुक्रवार 6 वि. 2074

जो कुछ नहीं करता केवल वही गलतियां नहीं करता

ईवीएम पर पिर निशाना

अब यह और स्पष्ट है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव के दौरान ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर निशाना साथने को अपने शैक के साथ अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया है।

इस शुद्ध राजनीति का अहम हिस्सा है अर्थ सत्य को सत्य के तौर पर सेवा करना। उन्नर प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान मेट में एक ईवीएम में गड़बड़ी के बाद एक बार पिर यह शेर मचाए जाने पर ही नहीं कि ऐसी ईवीएम अमल में लाई जा रही है जिनमें भी बदाएं, बोट कथित तौर पर भाजियों के खाते में ही जाता है। इस शोर के समर्थन में एक गैरिडों का भी बाला दिया गया। हालांकि यह गैरिडों यहीं दर्शाते हैं कि ईवीएम का बटन दबाने पर भाजियों के चुनाव निशान के समझ भी लाइट जलती है, लेकिन अपनी राजनीतिक सुविधा और सनसनी के लिए इसे इसी रूप में प्रत्यारित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत शुरू कर दी गई कि कोई भी बटन ढाबाओं, बोट तो भाजियों के नाम ही जा रही है। यह मेहनत शरारीरी तरवों और छुटभेंये नेताओं के साथ कई राजनीतिक दलों की ओर से भी की गई। इनमें भी शामिल हैं जो ईवीएम के जरिये ही चुनावी जीत हासिल कर चुके हैं। ध्यान रखें कि चंद्र माह पहले मध्यप्रदेश में भिंड में एक ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर भी शरारीर भय दृश्यवाच किया गया था। इस शरारीर में गैरिडों का भी हिस्सा शामिल था। उसकी ओर से यह झटके फैलाया गया कि गड़बड़ी सामने आने पर अधिकारियों ने गैरिडों की घमासानी का धमाका। इसके बाद दिल्ली विधानसभा में एक नकली ईवीएम में संघ लगाने का स्वाक्षर दिया, जबकि देश की मौद्रिक पैठालिक परंपरा के जरिये वे इस चुनाव आयोग पर ईवीएम में छेड़ाइ करने की चुनौती पेश की तो सबने अपने कदम पैदे खींच लिए।

मेरठ में ईवीएम की गड़बड़ी का मसला सामने आते ही दिल्ली में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी ने तो ईवीएम पर संदेह जताया है, शिवसेना और कांग्रेस ने भी रोना-पीटा शुरू कर दिया। ये राजनीतिक दल वही काम पहले भी कर चुके हैं। क्या यह वही शिवसेना नहीं जो मुंबई के निकाय चुनाव में सबसे अग्र रही थी? यह भी किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस ने पंजाब में ईवीएम के जरिये ही उल्लेखनीय चुनावी सफलता अर्जित की थी और अभी हाल में चिक्कूट विधायक सभा के उत्तरायण में भी उसी ही जीत मिली है। कांग्रेस ने मेरठ का मामला सामने आते ही जीत सहित वार्ता करते के किसी जीत से जांच की मांग की उत्तर यही तरफ तात्पुरता है कि उसका इशारा ईवीएम पर संदेह जताया है कि ईवीएम की पारदर्शिता के लिए केवल वीवीएपटी यानी मतदान बाद निकलने वाली पट्टी ही काफी नहीं है। निःसंदेह निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह हर तरह के संदेह का निवारण करे, लेकिन जब कुछ राजनीतिक दलों ने यह ठान लिया है कि वे हर हाल में संदेह करते ही रहेंगे तो फिर उसका इलाज किसी के पास नहीं हो सकता।

हेलमेट के लिए सहृदी

सड़क हादसों की संख्या में दिनोंदिन बढ़ोतारी होती जा रही है। देखा गया है कि दूर्घटना होने पर हेलमेट लगाए बाइक सवार की जान तो बच जाती है पर पीछे बैठने वाली सवारी को गंभीर चोट आती है। कई बाइक इसी कारण अनहोनी तक हो जाती है। ऐसी घटनाएं कम हों, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर दोषियों को जानवार बताकर विधायिक कर दिया है। तो यह वीवीएपटी यानी मतदान चलाते समय हेलमेट पहनना कबूत जरूरी है, यह बात सभी जानते हैं पर इस नियम का पालन करने में कोताही बरतते हैं। उनके साथ-साथ पुलिस और प्रशासन भी लापता है। आम जनता यातायत के नियमों का पालन करे, यह सुनिश्चित करना पुलिस और प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। अक्सर बड़ी बायात हो जाने के बाद ही चौपाईं पर पुलिसकर्मी बाहन चालकों को रोककर आसपास छाप लगाता है।

अधिकार रामालों में देखा जाता है कि पुलिसकर्मी बौरै हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को रोककर उनसे पूछताह करते हो हैं पर उन पर कार्रवाई करते हों एवं उनसे पूछताह करने से अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।

दिल्ली में दोषियों वाहनों पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट पहनना पिछले इसके साथ-साथ अनिवार्य है और वह जीतना इसका उपयोग की अनिवार्यता है।